राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

…पत्र संख्या 451 / 1993 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ में दायर दिनांक 20.04.1993
…पत्र संख्या 34 / 2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ में सुनवायी दिनांक 15.04.2010

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

1. भैरूशंकर पिता देवीलाल जोशी भू.पू. जागीरदार उदयपुर हाल गणेश घाटी, उदयपुर (मृतक)
   1/1 हीरालाल पिता भैरूशंकर
   1/2 मोतीलाल पिता भैरूशंकर
   1/3 रूपशंकर पिता भैरूशंकर
   1/4 घनश्याम पिता भैरूशंकर
   1/5 कौशलप्रकाश पिता भैरूशंकर
   1/6 कौशल्या पुत्री भैरूशंकर
2. कमेलश कुमार पिता विजयनाथ सनाढ्य निवासी बिजौलियां।
3. श्रीमती कृष्णा पत्नि बद्रीप्रसाद गुरूजी निवासी बिजौलियां।
4. भवानी शंकर पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा निवासी बिजौलियां।
5. अरविन्द कुमार पिता महावीर प्रसाद राव निवासी बिजौलियां।
6. प्रसेनजीत पिता भंवरलाल पाण्डे निवासी बिजौलियां। **(मृतक)**।
   6/1 ऋतुराज पिता प्रसेनजीत
   6/2 विषवेश पिता प्रसेनजीत
   6/3 अनीता पुत्री प्रसेनजीत
   6/4 पुष्पादेवी पत्नि स्व. प्रसेनजीत पाण्डेय निवासी बिजौलियां।
7. हरिसिंह पिता किशनसिंह रावत नि0 सुराडिया हाल नयानगर

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. पैरोकार तहसीलदार।
02. श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ –अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 6/3 की ओर से

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177, 63 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 07 / 10/ 2025

पत्रावली दिनांक 15.04.20210 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ से स्थानान्तरित होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ में सुनवायी हेतु प्राप्त हुयी हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177, 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नयानगर पटवार मण्डल नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1273/124 रकबा 20 बीघा, आराजी नम्बर 1274/124 रकबा 10 बीघा, आराजी नम्बर 1275/125 रकबा 10 बीघा, आराजी नम्बर 1276/186 रकबा 35 बीघा कुल किता 4 रकवा 75 बीघा किस्म जमीन बंजड़ भैरूशंकर पिता देबीलाल जोशी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 1273/124 रकबा 20 बीघा, आराजी नम्बर 1274/124 रकबा 10 बीघा, आराजी नम्बर 1275/125 रकबा 10 बीघा, आराजी नम्बर 1276/186 रकबा 35 बीघा कुल किता 4 रकबा 75 बीघा भूमि में भैरूशंकर पिता देबीलाल जोशी द्वारा अवैध खनन किया गया हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीग द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नही किया जाकर अकृषि में परिवर्तन कर भूमि का स्वरूप बदल दिया हैं। जिसके लिए उन्हे कोई अधिकार नहीं हैं। तथा भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु नही लिया गया हैं। खातेदार द्वारा किया गया कार्य प्रयोजन की असंगति के अन्तर्गत आता हैं। अतः प्रतिवादी को उक्त वर्णित आराजीयात पर से बेदखल किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज किया जाना न्याय एवं उचित हैं।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। विपक्षी भैरूशंकर जोशी की मृत्यु होने से उसके वारीसान 1.1 से 1.6 तक को नोटिस जारी किये गये, जो बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 2 से 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं। प्रतिवादी क्रमांक 6 प्रसेनजीत पाण्डे की मृत्यु होने से उसके वारीसान प्रतिवादी क्रमांक 6.1 से 6.4 तक को नोटिस जारी किये गये जो बाद तामील शामिल पत्रावली किये गये।

प्रतिवादी क्रमांक 6.1, 6.2, 6.4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी क्रमांक 6.3 अनिता पुत्री प्रसेनजीत पाण्डे की ओर से वकील श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादी श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ ने दिनांक 05.08.2024 को जवाब बन्द करने के लिए निवेदन किया। अतः जवाब प्रतिवादी दिनांक 05.08.2024 को बन्द किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उक्त प्रकरण में पूर्व में दिनांक 23.03.1999 को उक्त विवादित आराजीयात कुल किता 4 कुल रकबा 75 बीघा भूमि पर तहसीलदार बिजौलिंया को रिसीवर नियुक्त कर आदेश दिया गया कि उक्त विवादित जमीन को तत्काल अपने कब्जे में लेकर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करें एवं खनन कार्य नही करने देवें तथा कृषि स्वरूप को बनाये रखने की व्यवस्था करें तथा खनिज विभाग बिजौलियां को भी आदेश दिया गया कि उक्त आराजीयात में कोई खनन पट्टा व क्वारी लाईसेन्स, खातेदार व अन्य किसी व्यक्ति को जारी न करें न ही खनन कार्य करने देवें।

उक्त रिसीवरी आदेश दिनांक 23.03.1999 के खिलाफ अपीलार्थीगणों द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भीलवाड़ा के यहां अपील प्रस्तुत की गयी जिसे उक्त न्यायालय ने दिनांक 01.11.1999 को आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर प्रकरण इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रकरण में उभयपक्ष खातेदारान पक्षकारों को जो भी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हो सभी को नोटिस जारी कर सुनवायी का समुचित अवसर देकर शहादत, सबूत लेकर अज सिरे से निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.1999 को अपास्त किया गया एवं निर्णय दिनांक 01.11.1999 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उक्त प्रकरण R.A.A. भीलवाड़ा से पुनः रिमाण्ड होकर प्राप्त होने से प्रकरण में नियमानुसार निरन्तर सुनवायी की जाकर दिनांक 29.11.2024 को उक्त चारों आराजीयात कुल किता 4 कुल रकबा 75 बीघा भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार बिजौलियां एवं खनिज अभियन्ता बिजौलियां से वर्तमान में भूमि किसके नाम दर्ज हैं एवं मौका स्थिति की जांच हेतु लिखा जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गयी जो शामिल पत्रावली हैं।

तहसीलदार बिजौलियां के पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/493 दिनांक 25.03.2025 की रिपोर्ट अनुसार ग्राम नयानगर की आराजी नं० 1273/124 रकबा 20.00 बीघा, आ0नं0 1274/124 रकबा 10.00 बीघा, आ0नं0 1275/125 रकबा 10.00 बीघा, आ0नं0 1276/186 रकबा 35.00 बीघा कुल किता 4 रकबा 75.00 बीघा भूमि भैरूशंकर पिता देबीलाल जोशी के नाम दर्ज रेकार्ड थी। उक्त खातेदारी भूमि के विक्रय होने से वर्तमान में 75 बीघा भूमि के निम्नानुसार नवीन नं0 व खातेदार बने है वर्तमान स्थिति इस प्रकार हैं :–

1. आराजी नं0 1273/124 रकबा 2.9137 हे०, आ0नं0 1275/125 रकबा 1.4164 हे० व आ0नं0 1276/186 रकबा 5.4632 हे० कुल किता 3 रकबा 9.7933 हे0 भूमि जो अनिता पुत्री प्रसेनजीत 1/3, ऋतुराज पुत्र प्रसेनजीत 1/3, विश्वेस पुत्र प्रसेनजीत 1/3 जाति पाण्डेय निवासी बिजौलियां के नाम दर्ज रेकार्ड है।
2. ग्राम नयानगर की वर्तमान आ०नं० 1274/124 रकबा 0.1619 हे० जो आशिया पत्नी करीम खां मुसलमान निवासी बिगोद के नाम दर्ज रेकार्ड है।

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

3. ग्राम नयानगर की वर्तमान आराजी नं0 1359/124 रकबा 0.9712 है० भूमि जो कमलेश कुमार पुत्र विजयनाथ सनाढ्य 1/4, कृष्णा पत्नी बद्रीप्रसाद गुरुजी 1/4, भवानीशंकर पुत्र लक्ष्मीनारायण पारासर 1/4, मनोज पुत्र अरविन्द कुमार राव 1/4 सा० बिजौलियां के नाम दर्ज रेकार्ड है।

4. ग्राम नयानगर की वर्तमान आराजी नं0 1356/124 रकबा 0.3237 है० भूमि जो ईकबाल पुत्र अब्दुल करीम मुसलमान 1/2, तसनीम (नाबा) पुत्री रफीक 1/8 निशा (नाबा) पुत्री रफीक 1/8, रज्जाउल्ला (नाबा) पुत्र रफीक 1/8 संरक्षक सरपरस्त माता सलमा, सलमा पत्नी रफीक 1/8 मुसलमान सा० बिगोद के नाम दर्ज है।

5. ग्राम नयानगर की वर्तमान आ0नं0 1347/124 रकबा 0.1619 है० जो आनन्दी सिंह पिता किशनसिंह रावत के नाम दर्ज थी जो नामा० सं० 1097 दिनांक 12.06.1997 से बिलानाम सरकार दर्ज हो चुकी है।

6. ग्राम नयानगर की वर्तमान आ0नं0 1382/124 रकबा 0.3237 है० जो शम्भुलाल पिता बालूलाल धाकड सा० नयानगर हाल फतहनगर के नाम दर्ज है।

7. ग्राम नयानगर की वर्तमान आ०नं0 1375/125 रकबा 0.2023 है० व आ०नं० 1376/186 रकबा 0.2023 है० जो हरिसिंह पिता किशनासिंह रावत सा० सुरडिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर हाल नयानगर के नाम दर्ज रेकार्ड है।

मौके पर आराजी नं0 1273/124, आ०नं० 1359/124, आ0नं0 1382/124 पर मौके पर खनन कार्य होकर रलाव पड़ा हुआ हैं एवं आराजी न0 1275/125, आ०नं० 1276/186, आ०नं0 1375/125, आ०नं० 1376/186, आ०नं० 1274/124, आ०नं० 1356/124 में लीज व ब्लॉक बने हुये हैं जो वर्तमान में चालू है। उक्त लीज व ब्लॉक में जुडे हुए खसरा नम्बरान के बारे में वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट माईनिंग विभाग बिजौलियां से लेना उचित है। उपरोक्त सभी खसरा किता 09 के माईनिंग लीज/ब्लॉक में जुड़े होने की वर्तमान जानकारी माईनिंग विभाग से लिया जाना फरमायें।

खनि अभियन्ता बिजौलियां के पत्र क्रमांक/खअ/बिजौ/विविध/2025/556 दिनांक 19.08.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुयी जिसके अनुसार :–

1. आराजी नं0 1273/124 रकबा 2.9137 है0 खातेदार अनिता पुत्री प्रसेनजीत, ऋतुराज पिता प्रसेनजीत निवासी बिजौलियां के नाम रिकॉर्ड दर्ज है। आराजी नं0 1359/124 रकबा 0.9712 है0 खातेदार कमलेश पिता विजयनाथ सनाढ्य, कृष्णा पत्नि बद्रीप्रसाद, भवानी शंकर पिता लक्ष्मीनारायण पाराशर व मनोज पिता अरविंद कुमार राव निवासी बिजौलियां के नाम दर्ज है। आराजी नं0 1382/124 रकबा 0.3237 है0 खातेदार श्री शम्भुलाल पुत्र श्री बालु धाकड़ निवासी फतेहनगर के नाम रिकॉर्ड दर्ज है। जो पूर्व में स्वीकृत खातेदारी क्वारीलाईसेन्स संख्या 01 क्वारीधारी श्रीमती निशा पत्नि मनोज मीणा के नाम स्वीकृत रहा है जिसमें खनन किया जाकर मलबा भरा हुआ है। वर्तमान में उक्त क्वारीलाईसेन्स खण्डित है।
2. आराजी नं0 1274/124 रकबा 0.1619 है0 खातेदार श्रीमती आशिफा पत्नि वसीम खां निवासी बिगोद की है। आराजी नं0 1356/124 रकबा 0.3237 है0 खातेदार इकबाल पुत्र करीम, तसमीन पुत्री रफींक, निशा पुत्री रफीक, रज्जा उल्ला पुत्र रफीक व सलमा पत्नि रफीक की है। जो स्वीकृत क्वारीलाईसेन्स संख्या 215 स्व0 श्री विवेक पुत्र श्री कन्हैयालाल धाकड़ के पक्ष में स्वीकृत होकर वर्तमान में प्रभावशील है तथा नामान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में वर्षा, के कारण खनन कार्य बन्द है।

लगातार पेज संख्या 05 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

3. आराजी नं0 1275/125 रकबा 1.4164 है0 व आराजी नं0 1276/186 रकबा 5.4632 है0 खातेदार अनिता पुत्री प्रसेनजीत, ऋतुराज पुत्र प्रसेनजीत व विश्वेस पुत्र प्रसेनजीत

4. की है। उक्त खसरा खातेदारी क्वारीलाईसेन्स 56 क्वारीधारी श्रीमती कविता पत्नि हरिसिंह रावत निवासी ब्यावर हाल निवासी नयानगर के पक्ष में स्वीकृत होकर वर्तमान में प्रभावशील है। जिसमें मौके पर खनन कार्य बन्द पाया गया तथा मौके पर पानी भरा हुआ है।

5. आराजी नं0 1359/124 रकबा 0.9712 है0 खातेदार कमलेश पिता विजयनाथ सनाढ्य, कृष्णा पत्नि बद्रीप्रसाद, भवानी शंकर पिता लक्ष्मीनारायण पाराशर व मनोज पिता अरविंद कुमार राव निवासी बिजौलियां के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पूर्व में स्वीकृत क्वारीलाईसेन्स संख्या 01 क्वारीधारी श्रीमती निशा पत्नि मनोज मीणा निवासी मैनाल के नाम स्वीकृत रहा है। जो वर्तमान में खण्डित है तथा मौके पर पानी भरा हुआ है।

6. आराजी नं0 1375/125 रकबा 0.2023 ह0 आराजी नं0 1376/186 रकबा 0.2023 है0 खातेदार श्री हरिसिंह पुत्र श्री किशन सिंह हाल निवासी नयानगर के नाम रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त खसरों में विभागीय खनिज सेण्डस्टोन बाउण्ड्री नयानगर–सी के ब्लॉक संख्या 68 व 69 आते है। जो वर्तमान में प्रभावशील है तथा मौके पर वर्षा का पानी भरा हुआ है एवं खनन कार्य बंद है। श्री भैरू शंकर जोशी द्वारा प्रस्तुत याचिका संख्या 1531/89 का निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 14–12–1990 को हुआ। श्री भैरू शंकर जोशी की वसीयतनामा धारी श्री प्रसेनजीत पाण्डे निवासी बिजौलियां की सहमति पर उक्त ब्लॉक 68 की स्वीकृति दिनांक 81/05–03–2012 एवं 69 की स्वीकृति दिनांक 84/05–03–2012 से श्री हरिसिंह रावत के नाम पर जारी की गई।

वादी ने साक्ष्यवादी में PW-1 प्रभुलाल पिता नाथूलाल धाकड़ पद कानूगो एवं PW-2 अनिल कुमार पिता छोटेलाल शर्मा तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का नयानगर के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं तहसीलदार बिजौलियां एवं खनिज विभाग बिजौलियां की रिपोर्ट का अध्ययन किया। उक्त प्रकरण में पैराकार सरकार एवं विपक्षीगण की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया।

उपखण्ड अधिकारी जिला–भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 06 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा